भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2580
09.03.2026 को उत्तर के लिए

गोवा के संरक्षित क्षेत्रों में स्वीकृत परियोजनाएं

2580. **कैप्टन विरयाटो फर्नांडीसः**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि गोवा के संरक्षित क्षेत्रों में स्वीकृत परियोजनाओं में लगातार उल्लंघन किया जा रहा है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है.

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य सरकार ने प्रस्तावित बाघ अभयारण्य के मुख्य क्षेत्र के भीतर सुरला में 8 करोड़ रुपये की लग्जरी पर्यटन परियोजना और मोलेम वन्यजीव अभयारण्य में इसी प्रकार की एक परियोजना को मंजूरी दी है/इसके लिए प्रयास कर रही है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है.

(घ) क्या सरकार को जानकारी है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे (एसडब्ल्यूआर) मोलेम से होकर दूसरी रेल लाइन बनाने पर जोर दे रहा है और अभयारण्य के भीतर आयातित खनिज अयस्क को भी उतार रहा है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ङ) क्या सरकार ने म्हादेई वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए एक प्रमुख पारिस्थितिकीय खतरा उत्पन्न करने वाले मदेई नदी के जल को मोड़ने के लिए कर्नाटक द्वारा किए जा रहे प्रयास के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क)से(ङ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, संरक्षित क्षेत्रों से जुड़े प्रस्तावों पर 1972 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से विचार करता है। राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, बाघ रिजर्व, बाघ के मार्गों के अंदर विकासात्मक कार्यालयों के प्रस्तावों और राष्ट्रीय उद्यानों तथा

अभयारण्यों के निकट पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों (ईएसजेड) के भीतर पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता वाले कार्यकलापों के प्रस्तावों पर राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड को स्थयी समिति द्वारा व्यवहार्यता के आधार पर सिफारिश और विचार किया जाता है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/प्रशासकों और संबंधित मुख्यमंत्रियों/प्रशासकों की अध्यक्षता वाले राज्य वन्यजीव बोर्ड द्वारा गहन जांच के बाद, प्रस्तावों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के समक्ष रखने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति, जिसमें प्रख्यात पारिस्थितिकीविद्, संरक्षणवादी और पर्यावरणविद भी शामिल हैं, अपने विचारार्थ रखे गए प्रस्तावों पर सुविज्ञ निर्णय लेती है।

गोवा राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि सुरला में कोई भी लग्जरी परियोजना स्वीकृत नहीं है। हालांकि, महादेई वन्यजीव अभ्यारणय सुरला में उत्तरी गोवा में इको-कैंपों के विकास के लिए पैदल मार्ग, रास्ते, इको-कैंप आदि के निर्माण की महादेई वन्यजीव अभयारण्य और महावीर राष्ट्रीय उद्यान में आने वाली सुरला में एक इको-पर्यटन परियोजना को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) की सिफारिशों के आधार पर 30 जनवरी 2024 को आयोजित राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति (एससीएनबीडब्ल्यूएल) की 77वीं बैठक में महावीर राष्ट्रीय उद्यान के लिए अनुमोदित प्रबंधन योजना के अनुसार गतिविधियों को शर्तों के अनुसार किये जाने की सिफारिश की गई थी।

दक्षिण गोवा जिला के कलेम रेलवे स्टेशन पर अयस्क से संबंधित गतिविधयों की अनुमति के लिए भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य से 0.7616 हेक्टेयर वन क्षेत्र के उपयोग के प्रस्ताव दिनांक 09 दिसंबर, 2025 को हुई राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 87वीं बैठक में सिफारिश की गई थी। गोवा राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा अपने मौजूदा ट्रैक के डबल लैंडिंग कार्य का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय द्वारा महादेई नदी के जल को मोड़ने वाले पारिस्थितिक खतरों पर कोई अध्ययन नहीं किया है।

****